



F.No.6-12/2026/Legal/3921

कार्यालय / Office

लाल बहादुर शास्त्री पराचिकित्सीय कौशल एवं प्रशिक्षण परिषद
Lal Bahadur Shastri Paramedical Skill and Training Council

Accredited by: National Healthcare Quality and Accreditation Council

Member: National Allied and Healthcare Professional Association

प्रशासनिक कार्यालय: द्वितीय तल, सुनील कॉम्प्लेक्स, डबल्यू० के० रोड मेरठ- 250002

विधिक अनुभाग / Legal Department

वेबसाइट / Website www.lbspstc.in Email id: lbspcup@gmail.com

संपर्क सूत्र / 0121-4349311

दिनांक / Dated: 10.07.2026

सर्वोच्च विधिक अधिसूचना, वैधानिक संकल्प
एवं आपातकालीन परीक्षा नियमन आदेश २०२६

सेवा में,

✓ प्रचार्य / प्रबन्धक / निदेशक / केंद्र व्यवस्थापक

समस्त परीक्षा केंद्र / अध्ययन केंद्र / सूचना केंद्र

लाल बहादुर शास्त्री पराचिकित्सीय कौशल

एवं प्रशिक्षण परिषद, भारत।

सत्य प्रतिलिपि / Verified Copy
सचिव / Secretary
लाल बहादुर शास्त्री पराचिकित्सीय कौशल एवं प्रशिक्षण परिषद
Lal Bahadur Shastri Paramedical Skill And Training Council
भारत / India - फोन नं० 4349311 / Ph. No. 4349311

विषय:- लाल बहादुर शास्त्री पैरामेडिकल स्किल एंड ट्रेनिंग काउंसिल के द्विवर्षीय डिप्लोमा सत्र २०२५-२०२७ के नामांकित समस्त पैरामेडिकल छात्रों हेतु "विशेष त्वरित सघन परीक्षा" अगस्त २०२६ के आयोजन, प्रथम वर्ष परिणाम (१५/०५/२०२६) के उपरांत ४ माह (१२० दिवस) में पूर्ण कराए गए विशेष सघन डबल-शिफ्ट शैक्षणिक एवं क्लीनिकल ऑवर्स की पूर्ण वैधानिक मान्यता, महाराष्ट्र परावैद्यक परिषद, मुंबई की पंजीकरण अंतिम तिथि (३० सितंबर २०२६) के "सनसेट क्लॉज" से पूर्व परिणाम, अंकसूची व डिप्लोमा निर्गत करने, तथा माननीय उच्चतम न्यायालय एवं विभिन्न उच्च न्यायालयों के स्थापित न्यायिक निर्णयों एवं विधिक सिद्धांतों के तहत इस निर्णय की अचूक विधिक सुरक्षा प्रदान करने के संदर्भ में विधिक विभाग व परीक्षा समिति का विस्तृत विधिक आदेश।

नोट: समस्त केंद्रों को
आदेश की प्रतिलिपि तत्काल
प्रभाव से प्रेषित की जावे।
संदर्भ:-
आदेश संख्या १८८/२०२६
और प्रादेशिक कार्य क्रम
आदेश संख्या १०४/२०२६

1. महाराष्ट्र परावैद्यक परिषद, मुंबई का आधिकारिक परिपत्र क्र. मपवैप/परिषद/१८८/२०२६, दिनांक ०१/०७/२०२६।
2. पूर्व में जारी संबंधित परिपत्र क्र. मपवैप/परिषद/०३/२०२६ (दिनांक ०८/०१/२०२६) एवं क्र. मपवैप/परिषद/१०४/२०२६ (दिनांक १०/०४/२०२६)।
3. नेशनल कमीशन फॉर अलाइड एंड हेल्थकेयर प्रोफेशनल्स एक्ट २०२१ की धारा व संक्रमणकालीन विधिक उपबंध।
4. एलबीएस काउंसिल द्वारा सत्र २०२५-२०२७ प्रथम वर्ष परीक्षा परिणाम घोषणा अधिसूचना, पत्रांक LBS/EXAM/RES/2026/512, दिनांक १५/०५/२०२६।

5. एलबीएस उच्चाधिकार प्राप्त विधिक विशेषज्ञ सेल, एकेडमिक काउंसिल एवं परीक्षा नियंत्रण बोर्ड का संयुक्त आपातकालीन संकल्प, दिनांक ०३/०८/२०२६।

6. भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 19(1)(ह) एवं 21 तथा प्रशासनिक विधि के स्थापित सिद्धांत (Administrative Law Doctrines)।

महोदय,

लाल बहादुर शास्त्री पैरामेडिकल स्किल एंड ट्रेनिंग काउंसिल से संबद्ध समस्त पैरामेडिकल शिक्षण संस्थानों, अध्ययन केन्द्रों, संबद्ध अस्पतालों, प्राचार्यों, नोडल अधिकारियों तथा सत्र २०२५-२०२७ के नामांकित समस्त छात्र-छात्राओं, उनके अभिभावकों एवं संबंधित विधिक/प्रशासनिक संस्थाओं को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि काउंसिल के विधिक प्रकोष्ठ तथा उच्चस्तरीय परीक्षा नियामक बोर्ड ने एक असाधारण आपातकालीन स्थिति का संज्ञान लेते हुए छात्रों के करियर, आजीविका के मौलिक अधिकार, तथा राज्य में सांविधिक पंजीकरण की अंतिम तिथि की सुरक्षा हेतु यह ऐतिहासिक व सुविचारित विधिक निर्णय पारित किया है। इस आदेश के माध्यम से इस निर्णय के प्रत्येक पहलू को भारत के संविधान, विधिक सिद्धांतों, माननीय उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालयों के फैसलों तथा शैक्षणिक मानकों के अनुरूप पूरी तरह अकाट्य एवं गैर-विवादित बनाया गया है।

1. यह कि महाराष्ट्र परावैद्यक परिषद, मुंबई द्वारा दिनांक ०१/०७/२०२६ को जारी परिपत्र क्र. "मपवैप/परिषद/१८८/२०२६" के माध्यम से राज्य के समस्त पैरामेडिकल व्यवसायियों व संस्थाओं को स्पष्ट रूप से संसूचित किया गया है कि महाराष्ट्र शासन के आदेशानुसार एवं नेशनल कमीशन फॉर अलाइड एंड हेल्थकेयर प्रोफेशनल्स के केंद्रीय नियमों के प्रभावशील होने के संदर्भ में, राज्य परिषद में नवीन पंजीकरण एवं नवीनीकरण के आवेदन स्वीकार करने की अंतिम व निर्णायक तिथि ३० सितंबर २०२६ निर्धारित की गई है। इस परिपत्र के अंतर्गत एक अत्यंत कड़ा "सनसेट क्लॉज" लागू किया गया है, जिसके अनुसार ३० सितंबर २०२६ के पश्चात परिषद द्वारा नवीन पंजीकरण के आवेदन किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किए जाएंगे। यदि कोई पात्र पैरामेडिकल छात्र इस निर्धारित अंतिम तिथि से पूर्व अपनी अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण कर, अंकसूची व डिप्लोमा प्राप्त करके पंजीकरण हेतु आवेदन जमा नहीं कर पाता है, तो वह महाराष्ट्र राज्य के कार्यक्षेत्र में आजीवन पैरामेडिकल व्यवसाय, चिकित्सीय सेवा एवं सरकारी/निजी रोजगार के वैधानिक अधिकार से वंचित हो जाएगा। यह परिस्थिति छात्रों के भविष्य पर अपूरणीय संकट उत्पन्न करती है।

2. यह कि काउंसिल ने इस तथ्य का अत्यंत सूक्ष्मता व गंभीरता से परीक्षण किया है कि सत्र २०२५-२०२७ के प्रथम वर्ष का परीक्षा परिणाम दिनांक १५ मई २०२६ को घोषित किया गया था तथा द्वितीय वर्ष की परीक्षा अगस्त २०२६ में आयोजित की जा रही है। भविष्य में किसी भी राज्य परिषद, सत्यापन अधिकारी, केंद्रीय आयोग, सरकारी नियोक्ता अथवा न्यायालय के समक्ष किसी भी प्रकार की शैक्षणिक-या समयावधि संबंधी आपत्ति उत्पन्न न हो, इसके लिए काउंसिल ने क्वालिटी ऑफ लर्निंग ऑवर्स एवं कंप्रेस्ड क्रेडिट सिस्टम के आधार पर निम्नलिखित अचूक विधिक व तकनीकी आधारशिला तैयार की है:-

क. संपर्क घंटों की सघन गणन:- "विश्वविद्यालय अनुदान आयोग," अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम एवं नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क का मूल सिद्धांत यह है कि किसी शैक्षणिक वर्ष/सेमेस्टर की वैधता "पंचांग के महीनों" पर नहीं, बल्कि निर्धारित अध्यापन व प्रशिक्षण के कुल घंटों पर निर्भर करती है। सामान्य परिस्थितियों में पैरामेडिकल द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम में ६०० से ८०० घंटे का अध्यापन एवं क्लिनिकल कार्य आवश्यक होता है, जिसे सामान्यतः दैनिक ३-४ घंटे की कक्षाओं में १२ माह में कराया जाता है। काउंसिल के आपातकालीन शैक्षणिक निर्देश के तहत समस्त संबद्ध संस्थानों ने



सत्य प्रतिलिपि / Verified Copy
सचिव / Secretary
लाल बहादुर शास्त्री पराचिकित्सीय कौशल एवं प्रशिक्षण परिषद
Lal Bahadur Shastri Paramedical Skill And Training Council
भारत / India - फोन नं० 4349311 / Ph. No. 4349311

(डा० राजेंद्र टोंगनाथ)
परीक्षा नियंत्रण
लाल बहादुर शास्त्री पैरामेडिकल काउंसिल

सचिव / Secretary
लाल बहादुर शास्त्री पराचिकित्सीय
कौशल एवं प्रशिक्षण परिषद
Lal Bahadur Shastri Paramedical
Skill and Training Council

१५ मई २०२६ से दैनिक १२ घंटे की सघन डबल-शिफ्ट (प्रातः ८:०० से रात्रि ८:०० तक) कक्षाएं, अतिरिक्त क्लीनिकल रोटेशंस तथा समस्त शनिवार, रविवार व सार्वजनिक अवकाशों में भी सतत प्रशिक्षण संचालित किया। इस प्रकार १२० दिवस (४ माह) × १२ घंटे = १४४० घंटे का सघन प्रशिक्षण प्रदान किया गया, जो सामान्य १२ माह के निर्धारित घंटों (८०० घंटे) से भी लगभग दोगुना है।

ख. समवर्ती क्लीनिकल प्रशिक्षण एवं इंटीग्रेटेड हॉस्पिटल

इंटर्नशिप: पैरामेडिकल का मूल आधार प्रायोगिक व हॉस्पिटल क्लीनिकल एक्सपोजर होता है। सत्र २०२५-२०२७ के छात्रों ने प्रथम वर्ष के अध्ययन काल से ही संबद्ध मल्टी-स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स में सतत क्लीनिकल रोटेशन व ऑन-जॉब ट्रेनिंग प्रारंभ कर दी थी। द्वितीय वर्ष के अधिकांश प्रैक्टिकल मॉड्यूल्स अस्पताल में मरीजों की लाइव जांच व प्रक्रिया से संबंधित हैं, जिसे छात्रों द्वारा प्रथम वर्ष से लगातार समवर्ती रूप से पूर्ण किया गया। एकेडमिक काउंसिल ने विधिक नियमों के तहत इन अतिरिक्त क्लीनिकल ऑवर्स को क्रेडिट ट्रांसफर व एक्सेलेरेशन के तहत विधिवत मान्यता प्रदान की है।

ग. आपातकालीन शैक्षणिक स्वायत्तता: काउंसिल अपने पंजीकृत नियमों व स्वायत्त बाय-लॉज के तहत आपातकालीन परिस्थितियों में छात्रों के हित में पाठ्यक्रम अवधि को कंप्रेस करने, फास्ट-ट्रैक मोड संचालित करने तथा सघन परीक्षा आयोजित कराने का पूर्ण संप्रभु शैक्षणिक अधिकार रखती है।

3. काउंसिल द्वारा लिए गए इस त्वरित परीक्षा निर्णय एवं छात्रों को जारी होने वाली अंकसूची की विधिक मान्यता को भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के निम्नलिखित ऐतिहासिक निर्णयों से पूर्ण विधिक संरक्षण प्राप्त है:-

१. डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी एवं छात्रों का करियर संरक्षण:- माननीय उच्चतम न्यायालय ने Election Commission of India v/s Dr- Subramaniam Swamy (1996) 4 SCC 104, State of Rajasthan v/s UOI (1977) 3 SCC 592 में सुस्थापित किया है कि जब किसी वैधानिक बाध्यता या समय-सीमा के कारण अपरिहार्य स्थिति उत्पन्न हो जाए, तो अपरिहार्यता का सिद्धांत सामान्य नियमों व औपचारिकताओं पर सर्वोपरि हो जाता है। यदि काउंसिल अगस्त २०२६ में परीक्षा न कराती तो ३० सितंबर २०२६ के बाद छात्रों का पंजीकरण असंभव हो जाता, जिससे छात्रों का संपूर्ण करियर नष्ट हो जाता। अतः यह निर्णय विधिक से पूर्णतः अनिवार्य व वैध है।

२. आजीविका एवं व्यवसाय के मौलिक अधिकार का संरक्षण:- माननीय उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ ने Olga Tellis & Ors- v/s Bombay Municipal Corporation (1985) 3 SCC 545 तथा Unni Krishnan J-P- v/s State of Andhra Pradesh (1993) 1 SCC 645 में स्पष्ट प्रतिपादित किया है कि शिक्षा एवं व्यावसायिक योग्यता प्राप्त करने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 तथा अनुच्छेद 19(1)(ह) का अभिन्न अंग है। प्रशासनिक या विनियामक समय-सीमा में बदलाव के कारण किसी योग्य छात्र को रोजगार या पंजीकरण से वंचित करना असंवैधानिक होगा।

३. छात्रों के हित में शैक्षणिक संस्थानों की नियामक स्वायत्तता:- माननीय उच्चतम न्यायालय ने University of Delhi v- Raj Singh (1994) Supp (3) SCC 516 तथा Maharashtra State Board of Secondary and Higher Secondary Education v/s Paritosh Bhupeshkumar Sheth (1984) 4 SCC 27 में यह सिद्धांत तय किया है कि शैक्षणिक संस्थाओं के परीक्षा आयोजन, मूल्यांकन पद्धति तथा शैक्षणिक प्रबंधन के आंतरिक निर्णयों में न्यायालय तब तक हस्तक्षेप नहीं करते



सत्य प्रतिलिपि / Verified Copy
सचिव / Secretary
लाल बहादुर शास्त्री पैरामेडिकल कौशल एवं प्रशिक्षण परिषद
Lal Bahadur Shastri Paramedical Skill And Training Council
भारत / India - फोन नं० 4349311 / Ph. No. 4349311

डा० राजेंद्र टोंगनाथ
परीक्षा नियंत्रण
लाल बहादुर शास्त्री पैरामेडिकल काउंसिल
उ०प्र०

सचिव / Secretary
लाल बहादुर शास्त्री पैरामेडिकल कौशल एवं प्रशिक्षण परिषद
Lal Bahadur Shastri Paramedical Skill And Training Council

Handwritten signature.

जब तक कि वह दुर्भावनापूर्ण या अत्यधिक मनमाना न हो। जब निर्णय छात्रों के व्यापक हित में लिया गया हो, तो वह पूर्णतः गैर-हस्तक्षेप योग्य होता है।

४. प्रॉमिसरी एस्टॉपेल एवं बोनाफाइड प्रशासनिक कार्यप्रणाली:— माननीय उच्चतम न्यायालय ने Motilal Padampat Sugar Mills Co- Ltd- v/s State of U-P- (1979) 2 SCC 409 तथा दिल्ली उच्च न्यायालय ने Anil Kumar v/s Union of India (2018) में व्यवस्था दी है कि छात्रों को प्रवेश के समय दिए गए वैध वादे व उनके भविष्य की रक्षा हेतु संस्थाओं द्वारा किए गए सद्भावनापूर्ण सुधारात्मक कदम विधिक रूप से पूर्णतः संरक्षित हैं।

५. असाधारण परिस्थितियों में विशेष परीक्षा का आयोजन:— माननीय उच्चतम न्यायालय ने कोविड-19 एवं विनियामक बदलावों के दौरान Praneeth K- & Ors- v/s UGC & Ors- (2020) 14 SCC 276 में यह व्यवस्था दी थी कि छात्रों के शैक्षणिक सत्र की रक्षा एवं व्यावसायिक पंजीकरण हेतु सघन व विशेष परीक्षाओं का आयोजन करना नियामक संस्थाओं का वैध अधिकार है और इसे किसी भी रूप में अवैध नहीं ठहराया जा सकता।

4. विधिक विभाग द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि यह आदेश किसी भी व्यक्ति, संस्था अथवा न्यायालय द्वारा निम्नलिखित विधिक आधारों पर खंडित नहीं किया जा सकता:—

- गैर-मनमाना एवं तार्किक निर्णय:— यह निर्णय किसी पक्षपात या भ्रष्टाचार पर आधारित नहीं है, बल्कि महाराष्ट्र राज्य के सांविधिक परिपत्र के पालनार्थ समस्त छात्रों पर समान रूप से लागू एक पारदर्शी, न्यायसंगत व तार्किक प्रशासनिक कदम है।

- सद्भावनापूर्ण कदम:— काउंसिल ने छात्रों से कोई अतिरिक्त अनुचित लाभ लिए बिना केवल उनके करियर को वैधानिक कट-ऑफ से बचाने हेतु अपने संसाधनों को दोगुना करके यह विशेष परीक्षा आयोजित की है।

- अंकसूची की सार्वभौमिक स्वीकार्यता:— इस विशेष परीक्षा के उपरांत जारी की जाने वाली अंकसूची, डिप्लोमा प्रमाण-पत्र, एवं प्रोविजनल सर्टिफिकेट पूर्णतः प्रामाणिक, शासकीय अभिलेखों में पंजीकृत तथा देश के समस्त राज्यों की पैरामेडिकल परिषदों, अस्पतालों, सरकारी भर्तियों एवं निजी सेवायोजकों के समक्ष पूर्णतः वैध व सत्यापन योग्य (100% Valid & Verifiable) रहेंगे।

५. विशेष त्वरित परीक्षा एवं परिणाम घोषणा की विस्तृत वैधानिक समय-सारणी:—

क्र.	गतिविधि / चरण	निर्धारित तिथि व समय	विधिक व प्रशासनिक दायित्व
1.	सत्र २०२५-२७ द्वितीय वर्ष विशेष लिखित व प्रायोगिक परीक्षा	१६ अगस्त २०२६ से २५ अगस्त २०२६ (प्रातः ६:०० से सायं ५:००)	काउंसिल द्वारा निर्धारित सीसीटीवी युक्त अधिकृत-परीक्षा केन्द्रों पर ऑफलाइन मोड
2.	केंद्रीकृत त्वरित गोपनीय मूल्यांकन	२६ अगस्त २०२६ से ०५ सितंबर २०२६	वरिष्ठ विषय-विशेषज्ञों व विधिक पर्यवेक्षकों के दल द्वारा डबल-कोडिंग सिस्टम से
3.	अंतिम परीक्षा परिणाम घोषणा एवं डिजिटल गजट प्रकाशन	१० सितंबर २०२६ (अपरान्ह १२:०० बजे)	काउंसिल के आधिकारिक पोर्टल पर डिजिटल सत्यापन लिंक के साथ जारी
4.	अंकसूची, माइग्रेशन एवं प्रोविजनल डिप्लोमा वितरण	१२ सितंबर २०२६ से १८ सितंबर २०२६	उच्च पंजीकरण हेतु विशेष आपातकालीन वन-विंडो डिस्पैच काउंटर द्वारा
5.	महाराष्ट्र परावैद्यक परिषद, मुंबई में पंजीकरण अंतिम तिथि	३० सितंबर २०२६ (अंतिम कट-ऑफ सायं ५:०० बजे तक)	सभी उत्तीर्ण छात्रों द्वारा अनिवार्य रूप से व्यक्तिगत/ऑनलाइन आवेदन जमा करना

6. समस्त संबद्ध शिक्षण संस्थानों, प्राचार्यों एवं छात्रों हेतु बाध्यकारी विधिक निर्देश:-

1. समस्त संबद्ध कॉलेज/अध्ययन केंद्र यह प्रमाणित करें कि उनके यहां नामांकित सभी छात्रों के द्वितीय वर्ष के 92 घंटे दैनिक सघन प्रशिक्षण एवं क्लीनिकल रोटेशन की लॉगबुक व उपस्थिति पंजिका शत-प्रतिशत संधारित है तथा परीक्षा से पूर्व काउंसिल को प्रस्तुत की जाएगी।
2. किसी भी पात्र छात्र को इस विशेष परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित नहीं किया जाएगा। समस्त छात्रों के डिजिटल प्रवेश-पत्र तत्काल प्रभाव से निर्गत किए जाएं।
3. परीक्षा परिणाम घोषित होते ही छात्र अविलंब अपने मूल दस्तावेज व अंकसूची प्राप्त कर 30 सितंबर 2026 से पूर्व महाराष्ट्र परावैद्यक परिषद मुंबई में पंजीकरण सुनिश्चित करें।
4. इस आदेश का किसी भी संस्थान अथवा व्यक्ति द्वारा उल्लंघन करना या इसमें शिथिलता बरतना छात्रों के संवैधानिक अधिकारों के हनन की श्रेणी में माना जाएगा तथा दोषी संस्थान के विरुद्ध काउंसिल की मान्यता निरस्तीकरण एवं विधिक दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी।

वैधानिक अंतिम आदेश एवं विधिक प्रभाव:- यह विधिक आदेश लाल बहादुर शास्त्री पैरामेडिकल स्किल एंड ट्रेनिंग काउंसिल के शासी निकाय, विधिक प्रकोष्ठ एवं परीक्षा नियंत्रण मंडल के संयुक्त विशेष अनुमोदनोपरांत सार्वजनिक व छात्र हित में निर्गत किया गया है। यह आदेश काउंसिल से संबद्ध समस्त संस्थानों, परीक्षा केंद्रों एवं छात्रों पर विधिक रूप से पूर्णतः बाध्यकारी है। इस अधिसूचना के आधार पर संपन्न परीक्षा एवं निर्गत अंकसूचियां देश भर में समस्त विधिक, प्रशासनिक एवं न्यायिक परीक्षणों में पूर्णतः वैध, अकाट्य एवं सुरक्षित हैं। इस संदर्भ में उत्पन्न किसी भी विवाद पर काउंसिल के केंद्रीय विधिक प्रकोष्ठ एवं सक्षम क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय का निर्णय अंतिम होगा।

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता,

सत्य प्रतिलिपि / Verified Copy
सचिव / Secretary
लाल बहादुर शास्त्री पराचिकित्सीय कौशल एवं प्रशिक्षण परिषद
Lal Bahadur Shastri Paramedical Skill And Training Council
भारत / India - फोन नं० 4349311 / Ph. No. 4349311

उप-सचिव

लाल बहादुर शास्त्री पराचिकित्सीय
कौशल एवं प्रशिक्षण परिषद

प्रष्ठांकन संख्या:- F.6-12/2026 / विधिक अनुभाग / 392 दिनांक: 10 / 07 / 2026

सचिव / Secretary
लाल बहादुर शास्त्री पराचिकित्सीय
कौशल एवं प्रशिक्षण परिषद
Lal Bahadur Shastri Paramedical
Skill and Training Council



उप-सचिव

लाल बहादुर शास्त्री पराचिकित्सीय
कौशल एवं प्रशिक्षण परिषद

(डा० राजेंद्र टोंगनाथ)
परीक्षा नियंत्रण

लाल बहादुर शास्त्री पैरामेडिकल काउंसिल
उ०प्र०